उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

आदेश

अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 28 (स्वी०), दिनांक 10.05.2018 एवं आवंटनदेश ज्ञापांक 04(आ०), दिनांक 18.05.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत **मो० 309.16000 लाख रू०** का आवंटन प्राप्त हुआ है।

2. दिनांक 11.05.2018 को सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार लातेहार जिला के विभिन्न प्रखंडों में 24 स्थलों पर जर्जर आगंनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया गया है।

3. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 328, दिनांक 09.06.2018 द्वारा **"लातेहार जिला के विभिन्न प्रखंडों में जर्जर आगंनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना (24 अदद्)"** अन्तर्गत प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आलोक में मो० 8.21 लाख रू० प्रति इकाई पर स्वीकृति प्रदान किया गया है।

4. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1011, दिनांक 04.06.2018 द्वारा प्राप्त अनुरोध पत्र, जिला योजना समिति, लातेहार से प्राप्त अनुमोदन एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन के आलोक में "लातेहार जिला के विभिन्न प्रखंडों में 24 स्थलों पर जर्जर आगंनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना" हेतु मॉडल प्राक्कलन दर प्रति इकाई मो० 8.21 लाख रू० की दर से जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि से कुल 24 आगंनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु **मो० 197.04 लाख रू०** (24 अदद् x 8.21 लाख रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है तथा कुल प्रशासनिक स्वीकृति राशि का 50 प्रतिशत (कॉलम–6) यानि कुल **मो० 98.52 लाख रू०** (अनठानबे लाख बावन हजार रू० मात्र) प्रथम अग्रिम स्वरूप कार्यकारी एजेंसी को उपावंटित करने की स्वीकृति दी जाती है। योजना विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई तकनीकि स्वीकृति की राशि	कुल तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	उपावंटित राशि (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	लातेहार जिला के विभिन्न प्रखंडो में जर्जर आगंनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना (24 अदद्)	8.21	197.04	197.04	98.52
	कुल	**8.21**	**197.04**	197.04	**98.52**

(अनठानबे लाख बावन हजार रू० मात्र)

5. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिये कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को कार्यकारी एजेंसी मनोनीत किया जाता है, जो विभागीय नियम के आलोक में निविदा के माध्यम से तथा प्राक्कलन के विशिष्टयों के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना व्यय (विस्तृत) मांग संख्या 35 योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) मुख्यशीर्ष 2053 जिला प्रशासन, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 11 जिला योजना के लिये अनाबद्ध राशि State Scheme- State plan Untied Fund (0385) विस्तृत शीर्ष 07 अन्य व्यय 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 35P205300796110759 में प्राप्त आवंटन **मो० 309.16000 लाख रू०** में से योजना के कार्यान्वयन हेतु **कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार** को कॉलम संख्या–6 में उपावंटित राशि **मो० 98.52 लाख रू० (अनठानबे लाख बावन हजार रू० मात्र)** उनके कोषागार डिपोजिट शीर्ष में अंतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपर्युक्त स्वीकृत योजना का निर्माण पूर्व में निर्मित भवन जो जर्जर हो चुका है को तोड़कर उसी स्थान पर बनाया जायेगा। कार्यकारी ऐजेंसी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार सर्वप्रथम सभी 24 जर्जर आगंनबाड़ी भवन का स्थलीय जांच कर उसका अनापति प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार एवं जिला योजना पदाधिकारी, लातेहार को भेजना सुनिश्चित करेंगे। अगर भवन अत्यंत जर्जर न हो तथा उसमें केन्द्र चलाने से बच्चों

की जान की क्षति न हो तो उसकी सूचना भी देंगे, जिससे की उसके स्थान पर दूसरे जर्जर आगनबाड़ी केन्द्र का नाम दिया जा सके। योजना प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी प्रकार के जमीन अथवा भवन की भौतिक स्थिति से संबंधित विवाद होने की स्थिति में कार्यकारी एजेंसी को ही पूर्णतः जवाबदेह माना जायेगा।

8. कार्यकारी एजेंसी योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात मापीपुस्त की सत्यापित प्रति, फोटोग्राफ, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र तथा स्वंय स्थलीय जांच प्रतिवेदन निश्चित रूप से कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

9. योजना कार्यरंभ के पूर्व Zero level photograph एवं पूर्ण होने के पश्चात् योजना की फोटोग्राफ कराकर कार्यकारी एजेंसी द्वारा इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

10. कार्य के संबंध में संबंधित सामग्रीयों के क्रय उनकी गुणवत्ता को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रसंगाधीन नियमों यथा PWD कोड के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजना में व्यवहृत सामग्रीयों के विरूद्ध देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती विपत्र से किया जायेगा। तथा कटौती की गयी राशि को जिला कोषागार, लातेहार में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार योजना के गुणवत्ता के लिए पूर्ण जवाबदेह होंगे तथा कार्यकारी एजेंसी यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप है।

13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में यदि किसी प्रकार की राशि का विचलन अथवा बिना कार्य के राशि की अभिश्रव निकासी अथवा प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न होने पर कार्यकारी एजेंसी के विरूद्ध विधि संम्मत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

14. कार्यकारी एजेंसी योजना के निविदा के पश्चात् संवेदक के साथ एकरारनामा की प्रति एवं एकरारित राशि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे, साथ ही एकरारित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगा।

15. कार्यकारी एजेंसी प्रत्येक माह के 2री तिथि तक योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक– 24 आगंनबाड़ी केन्द्रों की सूची।

[signature] 14/6/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–42/2018–19 274 /जि०यो०, दिनांक :– 14.6.18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग),/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

[signature] 14/6/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–42/2018–19 274 /जि०यो०, दिनांक :– 14.6.18

प्रतिलिपि :– 1. कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला योजना पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को मो० 98.52 लाख रू० (अनठानबे लाख बावन हजार रू० मात्र) की राशि कोषागार डिपोजिट शीर्ष में अंतरण करने हेतु विपत्र तैयार कर उपस्थापित करें।

3. संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला–लातेहार/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला–लातेहार/जिला कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[signature] 14/6/18

उपायुक्त, लातेहार।